मेन्युअल क्रमांक 1

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के संगठन की कार्यप्रणाली तथा कर्तव्यों का विवरण

1. वैधानिक प्रावधान एवं संक्षिप्त परिचय

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees state Insurance Act 1948) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देश के अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में लागू है । श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने वाली यह योजना सभी कारखानों, सिनेमाघरों, ट्रांसपोर्ट तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होती है । जिन संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं, उन संस्थानों पर पर यह योजना लागू होती है । राज्य की निजी तथा सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थाओं में यह योजना लागू की गई हैं ।
- वर्तमान में रूपये 21,000/– प्रतिमाह वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त होता है । योजना में सम्मिलित श्रमिकों को बीमित व्यक्ति कहते हैं ।
- बीमित व्यक्तियों के वेतन से उनके वेतन का 1.75% तथा नियोक्ताओं द्वारा बीमित के वेतन का 4.75% अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जमा करवाना होता है ।
- योजना के अनुसार हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ राज्य शासन द्वारा दिया जाता है ।
- हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ देने के लिये निर्धारित की गई सीलिंग वर्तमान में रूपये 3,000 प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष है । इससे अधिक व्यय होने पर उसका वहन राज्य शासन के द्वारा किया जायेगा ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय शासन का निगम) द्वारा निम्नलिखित हितलाभ दिये जाते हैं :–
    (1) बीमारी हितलाभ
    (2) मातृत्व हितलाभ
    (3) अक्षमता हितलाभ
    (4) आश्रित हितलाभ
    (5) अंतिम संस्कार हितलाभ
    (6) पुनर्वास हितलाभ
- छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ दिया जाता है ।
- चिकित्सा हितलाभ पर होने वाले व्यय का निर्धारित सीलिंग के अन्तर्गत 1/8 भाग (12.5%) राज्य शासन द्वारा तथा 7/8 भाग (87.5%) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है ।
- कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वर्तमान में 10 जिलों में 42 औषधालय कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 6 लाख बीमित व्यक्ति तथा उनके परिवार हितलाभ प्राप्त कर रहे हैं ।

वर्तमान में कार्यरत औषधालय/केन्द्रों की जिलेवार विवरण

जिले का नाम	क्रमांक	औषधालय/केन्द्र का नाम
रायपुर	1	फाफाडीह
	2	बीरगॉव
	3	कबीर नगर
	4	चौबे कालोनी
	5	मंदिरहसौद
	6	बैकुंठ (तिल्दा)
	7	सेजबहार–डूंडा
	8	सिलतरा
दुर्ग	9	नंदिनी रोड केन्द्र (खुर्सीपार)
	10	भिलाई सुपेला केन्द्र
	11	दुर्ग केन्द्र
	12	रसमडा केन्द्र
	13	जामुल केन्द्र
	14	कुम्हारी केन्द्र
	15	रिसाली–मरौदा केन्द्र
	16	हथखोज केन्द्र
	17	भिलाई–3
राजनांदगॉव	18	राजनांदगॉव केन्द्र
	19	टेडेसरा केन्द्र
	20	तुमडीबोर्ड केन्द्र
बिलासपुर	21	बिलासपुर केन्द्र
	22	बिल्हा केन्द्र
	23	सीपत
रायगढ़	24	रायगढ़ केन्द्र
	25	पतरापाली केन्द्र
	26	तराईमाल केन्द्र
	27	जामगॉव केन्द्र
	28	भूपदेवपुर
	29	तमनार
	30	सारंगढ़–चन्द्रपुर
जांजगीर चॉपा	31	चॉपा केन्द्र
	32	अकलतरा केन्द्र
कोरबा	33	कोरबा केन्द्र
	34	बाल्को नगर केन्द्र
	35	दर्रीजमनीपाली
	36	पताडी केन्द्र (कोरबा)
	37	दीपका
बलौदाबाजार	38	बलौदाबाजार
	39	भाटापारा
	40	हिरमी
धमतरी	41	धमतरी केन्द्र
गरियाबंद	42	नवापारा–राजिम

- राज्य के शेष 17 जिलों के मुख्यालय/म्युनिसिपल क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष से कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है । इन नये क्षेत्रों के हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा निजि चिकित्सालयों/निजि चिकित्सकों के साथ अनुबंध किया है।
- बीमित हितग्राहियों को टर्शरी चिकित्सा सुविधायें कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य के 16 निजि चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया है । सुपर स्पेश्लिस्ट चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों, किड़नी रोगों, मस्तिष्क रोगों, जटिल सर्जरी आदि से संबंधित उपचार टर्शरी केयर के अन्तर्गत आते हैं ।
- राज्य शासन द्वारा बीमित हितग्राहियों को वर्ष 2018–19 से कैशलेस आधार पर सेकण्डरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये राज्य के 47 निजि चिकित्सालयों को अधिकृत किया है।
- बीमित हितग्राहियों को शीघ्रता से हितलाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन किया गया है। इस सोसायटी की गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव तथा एक्जीक्यूटिव बाडी के अध्यक्ष श्रम विभाग के भारसाधक सचिव होते हैं।
- हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये चौबे कालोनी औषधालय रायपुर में डायग्नोस्टिक सेन्टर कम इमरजेन्सी सेन्टर संचालित किया जा रहा है ।

विभागीय संरचना के अन्तर्गत 980 पद स्वीकृत हैं ।

श्रेणी	स्वीकृत पद
प्रथम श्रेणी	21
द्वितीय श्रेणी	145
तृतीय श्रेणी	533
चतुर्थ श्रेणी	281
कुल :–	980

वर्षभर में समस्त औषधालयों में उपस्थित होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 6 लाख होती है ।

- योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों के मरीजों को राज्य के बाहर स्थित देश के प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में संदर्भित कर उपचार कराया जाता है ।

- बीमित हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में कैशलेस आधार पर प्रतिष्ठित निजि चिकित्सालयों के माध्यम से उपचार देने की व्यवस्था की गई है ।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें का बजट प्रावधान तथा व्यय ।

वित्त वर्ष	बजट प्रावधान (रू.)	कुल व्यय (रू.)
2013–14	32,74,30,300	21,18,09,975
2014–15	38,55,42,100	23,07,89,316
2015–16	44,95,30,100	36,53,84,334
2016–17	54,36,54,000	41,81,62,509
2017–18	58,40,50,100	49,80,37,141
2018–19	84,25,68,100	56,90,28,815
2019–20	98,39,30,000	6,12,10,827 (माह अप्रैल 2019 तक)

शीघ्र आरंभ होने वाली योजनाएं

क्र.	केन्द्र/औषधालय का नाम	औषधालयों की संख्या
1	अंबिकापुर (जिला–सरगुजा)	1
2	कबीरधाम	1
3	महासमुंद	1
	कुल योगः–	3

- भिलाई, कोरबा, रायपुर तथा रायगढ़ में एक–एक अंतः रोगी चिकित्सालय आरंभ करने के लिये राज्य शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निःशुल्क भूखण्डों का आबंटन किया गया है। रायपुर तथा कोरबा चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वित्त वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य पूर्ण होना संभावित है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें छत्तीसगढ़ का सेटअप

माँग संख्या – 18 श्रम
मुख्य शीर्ष – 2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य

पद नाम	वेतन लेवल	स्वीकृत पद	योजना
संचालक	15	1	योजना क्रमांक 2714
बीमा चिकित्सा पदाधिकारी {प्रथम श्रेणी}	13	2	

बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	12	2	
लेखाधिकारी रा.वि. सेवा	12	1	
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9	2	
स्टेनो टायपिस्ट	4	1	
मुख्य लिपिक ग्रेड –01	7	2	
सहायक ग्रेड –02	6	4	
सहायक ग्रेड –03	4	5	
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	6	2	
स्टेनोग्राफर	7	1	
लेखापाल	6	1	
फार्मासिस्ट ग्रेड–2	4	1	
वाहन चालक	4	1	
वार्ड बॉय/आया/चौकीदार/ स्वच्छक	1	5	
कंटीजेंसी पेड	1	3	
		योग :– 34	
बीमा चिकित्सा पदाधिकारी { प्रथम श्रेणी}	13	10	योजना क्रमांक 3676
बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	12	103	
स्टाफ नर्स	7	101	
मिडवाईफ	5	1	
सहायक ग्रेड –02	6	14	
सहायक ग्रेड –03	4	58	
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	6	37	
फार्मासिस्ट ग्रेड–2	4	96	
ड्रेसर	3	76	
वाहन चालक	4	5	
वार्ड बॉय/आया/चौकीदार/ स्वच्छक	1	296	
स्ट्रेचर वियरर	1	6	
		योग :– 713	
बीमा चिकित्सा पदाधिकारी { प्रथम श्रेणी}	13	8	योजना क्रमांक 791
बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/ सहायक शल्य चिकित्सक	12	38	
डेन्टल सर्जन	12	1	
नर्सिंग सिस्टर	9	1	
स्टाफ नर्स	7	29	

लेब टेक्नीशियन	7	5
लेब असिस्टेन्ट	4	2
रेडियोग्राफर जूनियर	4	2
ई.सी.जी. टेक्नीशियन	6	1
ओ.टी. टेक्नीशियन	6	2
फार्मासिस्ट ग्रेड–2	4	23
मिडवाईफ	5	5
ड्रेसर	3	16
सहायक अधीक्षक	6	1
सहायक ग्रेड – 02	6	7
सहायक ग्रेड – 03	4	18
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	6	10
वाहन चालक	4	3
वार्ड बॉय/आया/चौकीदार/ स्वच्छक	1	58
स्ट्रेचर वियरर	1	3
	योग–	233

3. कार्यप्रणाली एवं कर्तव्य –

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में व्याप्त हितग्राहियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी कर्मचारी राज्य बीमा मेडिकल मेन्युअल में दिये गये मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निःशुल्क पूर्ण चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना ही संगठन के कार्य एवं कर्तव्य हैं । विभाग द्वारा हितग्राहियों को निशुल्क उपलबध करायी जा रही चिकित्सा सुविधाओं में निम्नांकित सुविधायें सम्मिलित हैं :–

1. बाह्य रोगी उपचार
2. विशेषज्ञ परामर्श
3. चिकित्सालय में भर्ती रह कर पुनर्भुगतान एवं कैश–लेस चिकित्सा सुविधा
4. ड्रग–ड्रेसिंग, कृत्रिम अंग, ऐड्स एवं एप्लाऐंसेस का प्रदाय
5. रेडियोलॉजी तथा पैथालॉजी से सम्बधित परीक्षणों की सुविधा
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत टीकाकरण, परिवार
7. रोगी वाहन सुविधा या विशेषज्ञ सलाह के लिये या चिकित्सालय कन्वेन्स चार्जेस के पुनर्भुगतान की सुविधा सन्दर्भित किये जाने पर ।
8. चिकित्सा प्रमाण–पत्रों का प्रदाय
9. सुपर स्पेशिलटी जांच व उपचार की सुविधायें
10 चिकित्सा उपचार पर आये व्यय के पुनर्भुगतान व अग्रिम की सुविधायें
11 विशेष संदर्भित प्रकरणों में राज्य से बाहर अन्य राज्यों के अस्पतालों में उपचार की सुविधा ।

मेन्युअल क्रमांक 2

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्व व शक्तियॉ

क्र	श्रेणी	पद		दायित्व का संक्षिप्त विवरण		प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण
1	प्रथम	संचालक	1	विभागाध्यक्ष के सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन, अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन ,बजट आवंटन तथा निरीक्षण कार्य	1	प्रशासकीय शक्तियांः– सभी श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अवकाश स्वीकृति के अधिकार
			2	संगठन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बंध में नियुक्तियां, पदोन्नति तथा वरिष्ठता सम्बंधी समस्त कार्य	2	सभी श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये सामान्य भविष्य निधी से अग्रिम आंशिक /अन्तिम विकर्षण स्वीकृति के अधिकार, चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति के अधिकार
			3	विभागान्तर्गत कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावलियों पर मतांकन करना	3	औषधालयों से प्राप्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के गोपनीय चरित्रावलियों पर मतांकन ।
			4	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बंध में अनुशासनात्मक कार्यवाइयां	4	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्तिकर्ता एवं सक्षम प्राधिकारी के रूप में अनुशासनात्मक कार्यवाईयां संस्थित करने व शास्ति अधिरोपित करने सम्बंधी अधिकार
			5	विभागाध्यक्ष के रूप में प्रदेश में योजना के संचालन, क्रियान्वयन तथा शासकीय नीतियों को लागू करने सम्बंधी पूर्ण दायित्व	5	शासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन
			6	अधीनस्थ औषधालयों व चिकित्सालयों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था	6	2. बीमित व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों के उपचार पर आने वाले व्यय के पुनर्भुगतान की स्वीकृति रूपये 2,00,000/ तक (प्रत्येक प्रकरण) एवं अग्रिम रू. 1,00,000/ तक प्रत्येक प्रकरण
			7	कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं राज्य शासन के मध्य सेतु बंध के रूप में कार्य		कर्मचारी राज्य बीमा निगम से प्राप्त अंशदान/राशि को राज्य शासन को जमा करवाने संबंधी
			8	लाभार्थियों से सम्बंधित शिकायतों का निराकरण		कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में मरीज के इलाज के कारण वसूल न होने योग्य मदों के अपलेखन की शक्ति –पूर्ण शक्तियां
			9	शासन द्वारा समय–समय पर निर्देशित कार्य का सम्पादन		अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंठन पूर्ण शक्तियां

क्र	श्रेणी	पद		दायित्व का संक्षिप्त विवरण		प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण
2	द्वितीय श्रेणी	लेखाधिकारी मुख्यालय	1	लेखाधिकारी के रूप में कार्यो/दायित्वों का निर्वहन		
			2	वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य सम्पादन		
			3	विभिन्न आडिट आपत्तियों के निराकरण में मार्गदर्शन व सहयोग करना		
3 4 5	प्रथम श्रेणी/ द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी /प्रभारी केन्द्र विशेपज्ञ	1	केन्द्र प्रभारी के रूप में केन्द्राधीन समस्त औषधालयों का प्रशासनिक नियंत्रण, निरीक्षण, आहरण –संवितरण के कार्य एवं स्थापना संम्बधी समस्त कार्य	1	प्रशासनिक शक्तियां :– 1. शासन द्वारा कार्यालय प्रमुख को निर्धारित विभिन्न अवकाश एवं सामान्य भविष्य निधि विकर्षण एवं अग्रिम स्वीकृति के अधिकार अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बंध में
			2	बीमितों से प्राप्त चिकित्सा पुनर्भुगतान व अग्रिम भुगतानों के प्रकरणों का निराकरण करना	2	वित्तीय शक्तियों :– 1. यंत्र /उपकरण तथा भण्डार के क्रय पर खर्च की मंजूरी रू. 2000/ तक प्रत्येक
			3	हितग्राहियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ दिलाये जाने की व्यवस्था करना	3	यंत्र/उपकरणों की मरम्मत की मंजूरी रू. 1000/ तक प्रत्येक प्रकरण
			4	संचालक द्वारा सौंपे गये अन्य प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन	4	भण्डार /अप्रयोज्य वस्तुऐं तथा लोकधन की हानियों के अपलेखन की मंजूरी रू.500/ तक प्रत्येक
			5	बीमितो से प्राप्त शिकायतों का निराकरण	5	गर्भरोधक सहित दवाओं का क्रय रू. 3000/ तक तथा केंसर, थेलेसीमिया व एड्स के उपचार के लिये रू. 15000/ तक प्रत्येक प्रकरण
			6	केन्द्र के लिये गठित स्थानीय समिति में पारित निर्णयों पर कार्यवाही करना	6	विलम्ब शुल्क की मंजूरी –प्रत्येक प्रकरण में रू. 200/ तक
					7	आकस्मिकता तथा दुर्घटना के मामले में दवाईयों का क्रय –प्रत्येक प्रकरण में रू. 1000/ तक
					8	बीमित व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या पर हुए व्यय के पुर्नभुगतान की मंजुरी रू. 30,000/ तक
6	तृतीय श्रेणी	मुख्य लिपिक सहायक –ग्रेड प्रथम	1	कक्ष प्रभारी के रूप में कक्ष से सम्बंधित सभी कार्य अधीनस्थ स्टाफ से समय पर करवाना		
			2	कक्ष से सम्बंधित कार्यो में मार्गदर्शन देना		
			3	कार्यालयीन पत्र व्यवहार		

क्र	श्रेणी	पद		दायित्व का संक्षिप्त विवरण		प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण
			4	प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य का सम्पादन		
			5	उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर निदेर्शित कार्यो का निर्वहन		
7	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड दो लेखापाल	1	कक्ष प्रभारी द्वारा प्रभारी आवंटित कार्य का सम्पादन ।		
			2	खजांची का कार्य । (यदि आवंटित किया गया हो तो)		
			3	स्थापना तथा संलग्न सूची में दर्शाये गये कार्य का सम्पादन		
			4	सभी प्रकरण में रिकार्डस् का संधारण		
8	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–3,	1	कक्ष प्रभारी द्वारा आवंटित कार्य सम्पादन		
			2	रिकार्ड संधारण		
				केन्द्र पर अन्य लिपिक पद न होने पर समस्त प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य का सम्पादन		
9	तृतीय	स्टेनोग्राफर	1	शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन का कार्य , उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर सोंपे गये कार्य		
			2	सम्पादित किये गये कार्य का लेखा संधारण		
10	तृतीय	स्टेनोटाईपिस्ट	1	शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन का कार्य		
			2	उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर सोंपे गये कार्य		
11	तृतीय	स्टाफ नर्स /	1	मरीजों को चिकित्सक के निर्देशानुसार इंजेक्शन लगाना।		
12	तृतीय	ए.एन.एम (मिडवाईफ)	1	इंजेक्शन रजिस्टर संधारण करना, इंजेक्शन का मांग पत्र तैयार करना । महिला मरीजों की ड्रेसिंग कार्य करना व औषधि वितरण		
			2	चिकित्सालय में पदस्थ स्टाफ नर्स को उपरोक्त के साथ साथ मरीजों की नर्सिंग करना, पैथॉलॉजी जॉच के लिये सेम्पल इक्ट्ठे कर जॉच के लिये भेजना ।		
13	तृतीय	फार्मासिस्ट ग्रेड–2	1	औषधालय / केन्द्र के औषधि भंडारों में औषधियों का भंडारण ।		
			2	औषधियों का वितरण, स्टॉक रजिस्टर्स का संधारण । मिक्चर्स तैयार करना ।		
			3	प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार औषाधालय के अन्य कार्य करना ।		
14	तृतीय	लेब टेक्निशियन (प्रयोगशाला तकनिशियन)	1	प्रयोगशाला में विभिन्न टेस्टों केलिये उपकरणों की देख–भाल		
			2	टेस्टों के लिये रिएजेंटस तैयार करना		
			3	प्रभारी अधिकारी के मार्गदर्शन में टेस्ट करना		
			4	प्रयोगशाला भंडार का संधारण ।		
			5	जॉचों संबंधी सांख्यकीय कार्य ।		

क्र	श्रेणी	पद		दायित्व का संक्षिप्त विवरण		प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण
15	तृतीय	ड्रेसर	1	औषधालय में ड्रेसिंग का कार्य, माइनर आपरेशन में चिकित्सक को सहयोग करना, मल्हम तैयार करना, ड्रेसिंग संबंधी रजिस्टर संधारित करना ।		
16	तृतीय	वाहन चालक	1	रोगी वाहन एवं अन्य वाहन के चालन के साथ–साथ उनकी देखभाल एवं लाग बुक में प्रविष्टी कर उस पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर		
			2	प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन चालन का कार्य		
17	चतुर्थ	वार्डसेवक / भृत्य / आया	1	औषधालय कक्षों की संपूर्ण साफ सफाई जिसमें फर्श का पोछा, खिड़कियों, पंखों आदि की साफ सफाई सम्मिलित है (टायलेट एवं बाथरूम की साफ सफाई छोड़कर) । यह कार्य औषधालय के प्रारंभ होने के पूर्व किया जाना है ।		
			2	प्रभारी अधिकारी / चिकित्सक / स्टाफ नर्स आदि द्वारा आदेश दिये जाने पर विभिन्न कक्षों में कार्यों में सहयोग करना ।		
			3	चौकीदार की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रभारीअधिकारी द्वारा आदेश किये जाने पर औषधालय में चौकीदारी का कार्य करना ।		
18	चतुर्थ	चौकीदार	1	औषधालय में चौकीदारी का कार्य तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने पर अन्य कार्य करना ।		
19	चतुर्थ	क्लीनिर कम / स्ट्रेचर वियरर	1	एम्बुलेंस की साफ–सफाई, मरीज को स्ट्रेचर पर पलंग से एम्बुलेंस में तथा एम्बुलेंस से मरीज को स्ट्रेचर पर वार्ड में पलंग तक लाना ले जाना, प्रभारी अधिकारी द्वारा आदेशित अन्य कार्य करना ।		
20	चतुर्थ	स्वच्छक	1	औपधालय में साफ–सफाई, शौचालय, मूत्रालय की साफ–सफाई फर्श पर की गई लेट्रिन, पेशाब व अन्य गंदगी साफ करना ।		
			2	प्रभारी अधिकारी द्वारा आदेशित किये जाने पर अन्य कार्य करना ।		

मेन्युअल क्रमांक 3

निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की स्तर वार जानकारी

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संगठन में निर्णय, पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्वों के सम्बंध में अधिकारियों के निम्नानुसार स्तर निर्धारित हैं:–

संचालक



बीमा चिकित्सा पदाधिकारी

प्रभारी केन्द्र



बीमा चिकित्सा पदाधिकारी

प्रभारी औषधालय



बीमा चिकित्सा पदाधिकारी

मेन्युअल क्रमांक 4

कार्य सम्पादन हेतु मानदण्ड

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संगठन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 58 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में व्याप्त श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को अधिनियम के अनुच्छेद 57 में परिभाषित स्केल की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा इस सम्बंध में कर्मचारी राज्य बीमा मेडिकल मेन्युअल में उन सभी मानदण्डों एवं मार्ग निर्देशों का उल्लेख किया जाता है, जिनके आधार पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा हितग्राहियों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के लिये कर्तव्य निष्पादन

	क्र	औषधालय	उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधा	अधिकारी का पद नाम
			कन्द्र प्रभारी स्तर पर :–	प्रभारी कन्द्र
			संचालनालय स्तर पर :–	
			अ – हितग्राहियों के संबंध में	
			–अग्रिम भुगतान के लिये कार्यवाही	संबंधित लिपिक एवं बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
			–पुनर्भुगतान प्रकरणों में कार्यवाही	––''––
			–पुनर्भुगतान प्रकरणों को रिवाल्विंग फण्ड की और भेजा जाना	––''––
			–उपचार हेतु अनुमति एवं आवश्यकतानुसार औषधियों का स्थानीय क्रय	––''––
			– अधिकारी/कर्मचारी के सा.भ.नि. एवं अवकाश स्वीकृति के अधिकार	प्रभारी बी.चि. पदाधिकारी
			ब.–औषधियां क्रय हेतु प्रदाय आदेश	संचालक
			–अन्य भण्डार क्रय /दुरस्ती आदि	संचालक
			स.–प्रशासनिक कार्य	संचालक
			–अवकाश कार्य	संचालक
			–सा.भ.नि. से आंशिक विकर्षण	संचालक
			–यात्रा देयकों को स्वीकृति	संचालक
			–भवन निर्माण /क्रय व वाहन क्रय हेतु अनुमति	संचालक
			–अन्य प्रशासनिक कार्य	संचालक
			–औषधालय हेतु भवन व्यवस्था	संचालक
			द.–वित्तीय कार्यो के लिये स्वीकृतियां	संचालक
			ई. –योजना व बजट	संचालक
			प. –शिकायतों का निराकरण	संचालक

मेन्युअल क्रमांक 5

क. रा. बीमा सेवायें अन्तर्गत कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अधिनियम, नियम, विनियम, अनुदेश, मेन्युअल्स व परिपत्र

1. अधिनियमः–

1. क.रा. बीमा अधिनियम 1948 तथा इसकी धारा 58 (3) के तहत, हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु ।
2. सूचना का अधिकाकर अधिनियम 2005

2. नियमः–

1. कर्मचारी राज्य बीमा केन्द्रीय अधिनियम 1948
2. कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य नियम 1950
3. राज्य बीमा (चिकित्सा लाभ सर्विस सिस्टम) नियम 1959
4. रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी नियम
5. छ.ग. सिविल सेवा मूलभूत नियम
6. छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965
7. छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील 1966
   पूर्ववर्ती म.प्र. से लागू :–
8. कर्मचारी राज्य बीमा (राजपत्रित) भर्ती नियम 1981
9. कर्मचारी राज्य बीमा तृतीय श्रेणी (अराजपत्रीत) भर्ती नियम 1978
10. कर्मचारी राज्य बीमा चतुर्थ श्रेणी (अराजपत्रीत) भर्ती नियम 1985
11. छ.ग. सेवायें (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम
12. छ.ग. सामान्य भविष्य निधि नियम
13. छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम
14. छ.ग. यात्रा भत्ता–भत्ता नियम
15. छ.ग. पेंशन नियम
16. छ.ग. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम

3. मेन्युअलः–

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर मेडीकल मेन्युअल जारी किया जाता है ।

4. परिपत्र :–

1. क.रा.बी.निगम तथा छ.ग. शासन, श्रम विभाग द्वारा हितग्राहियों को देय विभिन्न हितलाभों के संबंध में समय–समय पर जारी अनुदेश, निर्देश.
2. राज्य शासन द्वारा जारी अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा संबंधी अनुदेश, निर्देश

मेन्युअल क्रमांक 6

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें छ.ग. के अर्न्तगत लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखे गये दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

(अ) केन्द्र प्रभारी के स्तर पर :–

(अधीनस्थ औषधालय / केन्द्र प्रभारी के कार्यालय के लिये)

क्र	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार रजिस्टर, पुस्तक	दस्तावेज में क्या है ।
1	मरीजों का उपस्थिति पत्रक (ओपी.डी. रजिस्टर)	रजिस्टर	उपचार के लिये औषधालय आये मरीजों की उपस्थिति
1	मरीजों का उपस्थिति पत्रक (ओपी.डी. रजिस्टर)	रजिस्टर	उपचार के लिये औषधालय आये मरीजों की उपस्थिति
2	बीमित व्यक्तियों का रजिस्टर	रजिस्टर	औषधालय से समबद्व बीमित व्यक्त्यिों के नाम, बीमा क्रमांक, पात्रता अपात्र होने का दिनांक, स्थानांतर मुत्यु आदि
3	लाईव लिस्ट	पृष्ठरूप में	क.रा.बीमा निगम द्वारा जारी पात्र बीमितों के नाम व बीमा क्रमाक (छह छह महीनों के लिये)
4	एक्जिट लिस्ट	पृष्ठरूप में	क.रा.बीमा निगम द्वारा जारी अपात्र बीमितों की सूची (सीर्फ बीमा क्रमांक)
5	मेडिकल रिकार्डएनवेलप के साथ	लिफाफा रूप में तथा वार्ड	बीमित व्यक्ति को चिकित्सा आधार पर जारी किये गये प्रमाण प्त्रों का विवरण
6	एब्सट्रेक्ट रजिस्टर	रजिस्टर	माह में उपचारित बीमारियों का विवरण (बीमितों तथा परिवार के सदस्यों के लिये पृथक–पृथक)
7	औषधालय से चिकित्सालय सन्दर्भ रजिस्टर	रजिस्टर	चिकित्सालयों को सन्दर्भित किये गये मरीजों की जानकारी
8	अवकाश प्रमात्र–पत्र पुस्तिकाओं का स्टाक रजिस्टर	रजिस्टर	विभिन्न प्रमाण–पत्र पुस्तिकाओं के भण्डारण की जानकारी
9	जारी अवकाश प्रमाण पत्रों का रजिस्टर	रजिस्टर	जारी किये गये विभिन्न अवकाश प्रमाण पत्रों का विवरण
10	रेम्यूलेशन सर्टिफिकेशन (अवकाश प्रमाण–पत्रों) की कार्यालयीन प्रतियां	पुस्तिका रूप में	बीमित व्यक्ति को चिकित्सा आधार पर जारी किये गये अवकाश प्रमाण पत्रों की कार्यालयीन प्रतियां
11	एसिक–4	पृष्ठरूप में (औषधालय / केन्द्र के औषधि भण्डार में संधारित	विशेषज्ञों द्वारा मरीज के लिये लिखी गई औषधियों
12	टर्न ओवर रजिस्टर	रजिस्टर के रूप में	एक माह में कितने बीमित चिकित्सा लाभ के लिए पात्र हुये
13	दैनिक औषधि खर्ची रजिस्टर (सामान्य)	रजिस्टर के रूप में	मरीजों को वितरित की गई औषधियों (सामान्य) की जानकारी
14	दैनिक औषधि खर्च रजिस्टर (विशेष औषधियों हेतु)	रजिस्टर के रूप में	मरीजों को वितरित की गई औषधियों (विशेष औषधीयों) की जानकारी

15	दैनिक इंजेक्शन रजिस्टर	रजिस्टर के रूप में	मरीजों को दिये गये इन्जेक्शन की जानकारी
16	औषधि प्रदाय रजिस्टर	रजिस्टर के रूप में	औषधालय के भण्डार से विभिन्न कक्षों को प्रदाय की गई औषधियों की जानकारी
17	ड्रेसिंग रजिस्टर	रजिस्टर के रूप में	औषधालय में की गई ड्रेसिग की जानकारी
18	स्टॉक रजिस्टर	रजिस्टर के रूप में	औषधालय /केन्द्र में उपलब्ध औषधियों एवं अन्य भण्डार की जानकारी
19	औषधियों का मांग पत्र	पृष्ठ रूप में	औषधालय / केन्द्र में औषधियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु वरिष्ठ कार्यालयों को प्रषित औषधियें की मांग
20	औषधियों के रिसीव्ड वाउचर्स	पृष्ठ रूप में	औषधालय में / केन्द्र पर प्राप्त औषधियों के रिसीव्ड वाउचर
21	केन्द्र प्रभारी को प्रदत्त प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार	पृष्ठ रूप में	औषधियों एवं अन्य भण्डार क्रय हेतु केन्द्र प्रभारी को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की जानकारी
22	भण्डार क्रय नियम (अघतन)	पुस्तिका रूप में	छ.ग.शासन द्वारा औषधियों एवं अन्य भण्डार क्रय हतु नियमावलि
23	क.रा.बीमा मेडीकल मेन्युअल	पुस्तक	क.रा.बमा निगम मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी जिस में योजनान्तर्त देय हितलाभ, उनकी पात्रता तथा अन्य मापदण्ड निर्धारित किये जाते है (वर्तमान में वर्ष 2002 में जारी मेनुअल प्रभावशील है ।
24	पुनर्भुगतान तथा अग्रिम भुगतान सम्बंधी रजिस्टर	रजिस्टर	बीमितों के पुनर्भुगतान क्लेम की प्राप्ति रकम उसे अग्रषित /निराकरण किये जाने का दिनांक, ड्राफ्ट / चैक प्राप्त होन की तारीख उसे वितरित किये जाने का दिनांक, अग्रिम भुगतान के प्रकरण की प्राप्ति का दिनांक, उसे अग्रेषित किये जाने का दिनांक, ड्राफ्ट /चेक प्राप्त होने का दिनांक उसे वितरित किये जाने का दिनांक ।
25	पुनर्भुगतान के लिए देयक	पृष्ठ रूप में	कोषालय से किये गये आहरण की जानकारी
26	शिकायत / सुझाव रजिस्टर	रजिस्टर	शिकायत प्राप्त होने का दिनांक तथा उसके निराकरण का दिनांक
	(2) केन्द्र स्तर पर लेखा सम्बधी दस्तावज		
1	बजट आवंठन आदेश	पृष्ठ रूप में	सक्षम अधिकारी द्वारा केन्द्र के लिये आवंठित मद बार बजट
2	कैश बुक	रजिस्टर	केन्द्र के लिये कोषालय से आहरित रकम तथा उसके व्यय की जानकारी
3	कंटिजेन्सी रजिस्टर	रजिस्टर	केन्द्र के लिये किये गये आकस्मिक व्ययों की जानकारी

4	बिल रजिस्टर	रजिस्टर	बिलों की जानकारी जो कोषालय में आहरण के लिये लगाये गये
5	बिल ट्रांजेक्शन रजिस्टर	रजिस्टर	कोषालय में भुगतान आहरण के लिये लगाया गया बिल
6	ड्राफ्ट/चैक रजिस्टर	रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त ड्रॉफ्टस् /चैक की जानकारी
7	व्यय पत्रक	पत्र रूप में	केन्द्र पर किये गये विभिन्न व्ययों की मासिक /त्रैमासिक ,छःमाही तथा वार्षिक रूप में जानकारी
	(3) विविध		
1	औषधालय भवन के लिये निर्धारित किराया	पृष्ठ रूप में	भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी किराया निर्धारण आदेश ।
2	भवन स्वामी का आवेदन	पृष्ठ रूप में	औषधालय हेतु भवन स्वामी द्वारा किराये पर भवन लिये जाने के लिये किया गया आवेदन ।
3	पट्टाभिलेख	पृष्ठ रूप में	भवन स्वामी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा सम्पादित दस्तावेज औषधालय भवन को किराये पर लेने हेतु ।
4	औषधालय भवन के लिए, नल, बिजली व दूरभाष के देयक	पृष्ठ रूप में	—
5	क.रा.बीमा. निगम द्वारा निर्मित भवन के रख रखाव के लिये पत्राचार	पृष्ठ रूप में	क्षेत्रीय कार्यालय क.रा.बी निगम व संचालनालय क.रा.बीमा सेचोयं को किया गया पत्राचार ।
6	उपस्थिति रजिस्टर	राजिस्टर	औषधालय/केन्द्र कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के लिये उपस्थिति की जानकारी ।
7	सेवा पुस्तिकायें, समान्य भवष्यि निधि पुस्तिकायें	पुस्तिका रूप में	केन्द्र पर पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों के कार्यालयों में संधारित सेवा पुस्तिकोयें तथा सामान्य भवष्यि निधि पुस्तिकायें
8	वेतन पत्रक	पृष्ठ रूप में	केन्द्र पद पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों के मासिक वेतन की जानकारी
9	अवकाश आवेदन	पृष्ठ रूप में	निर्धारित प्रारूप में अमले द्वारा अवकाश स्वीकृति हेतु किया गया आवेदन
10	यात्रा देयक	पृष्ठ रूप में	अधिकारी /कर्मचाारी द्वारा शासकीय कार्य के लिये की गई यात्रा हेतु भुगतान प्राप्ति के लिए दिया गया देयक ।
11	सामान्य भवष्यि निधि से अग्रिम /आंशिक विकर्षण	पृष्ठ रूप में	अधिकारी /कर्मचारी द्वारा सा.भ.निधि से अग्रिम / आंशिक विकर्षण हेतु किया गया आवेदन

12	सेवा निवृत्त अधिकारी / कम्रचारी के स्वत्वों के भुगतान संबंधी	पृष्ठ रू प में	सेवा निवृत्त अधिकारी / कम्रचारी को उनके स्वत्वों के भुगतान संबेंधि जानकारी तथा पी.पी. ओं.
13	वर्दी खरीदी दस्तावेज	पृष्ठ रू प में	अमले के लिये वर्दी खरीदी के दस्तावेज
14	अनाज अग्रिम तथा त्यौहार अग्रिम की जानकारी	रजिस्टर	
	(ब) संचालनालय स्तर पर		
	(1) हितग्रहियों को दी जाने वाली चिकत्सा सुविधाओं संबंध		
1	निविदायें/कोटेशंस का तुलनात्मक वृतांत तथा क्रय आदेशों की कार्यलयीन प्रतियां	पृष्ठ रू प में	औषधालयों, के लिये आषधियों एवं उपकरणों की जानकारी तथा जारी किये गये क्रय ओदश की कार्यालयीन प्रतियां
2	औषधि निविदा दर सूची	पुस्तिका रू प में	क.रा.बीमा निगम मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाने वाली औषधियों की दर सूची ।
3	औषधियों /उपकरण के क्रय हेतु मांग पत्र	पृष्ठ रू प में	विभाग के विभिन्न केन्द्रों से प्रेषित औषधियों / उपकरण के मांग पत्र
4	पुनर्भुगतान, अग्रिम भुगतान, रिवाल्विंग फण्ड रजिस्टर	रजिस्टर	विभिन्न केन्द्रों एवं से प्राप्त पुनर्भुगतान/ अग्रिम भुगतान प्रकरणों की जानकारी
5	शिकायत/सुझाव रजिस्टर	रजिस्टर	सेवायें से सम्बधित प्राप्त शिकायतों, उनके निराकरण सम्बंधी जानकारी
6	उपस्थिति रजिस्टर्स	रजिस्टर	संचालनालय में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये संधारित उपस्थिति रजिस्टर
7	वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार	पृष्ठ रू प में	विभाग के विभागाध्यक्ष को प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार
8	अधिकारी /एवं कर्मचारियों के पदस्थापना सूची	सूची	विभागान्तर्गत कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के सम्बन्ध में कि वे कब से कहां पदस्थ है उनकी जन्म तिथि वर्तमान पद का नाम
9	नियुक्ति आदेश पदोन्नति ओदश, स्थानांतरण आदेश	पृष्ठ रू प में	पृथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेंणी अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति पदोन्नति तथा स्थानांन्तर आदेशों की कार्यालयीन प्रतियां
10	वरिष्ठता सूचियां	पृष्ठ रू प में	सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारीयों की वरिष्ठता सूचियां
11	अवकाश स्वीकृति/यात्रा भत्ता स्वीकृति/सा.भ.निधि से अग्रिम एवं आंशिक विकर्षण की स्वीकृति आदेश	पृष्ठ रू प में	विभागान्तर्गत कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारीयों के प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत अवकाश स्वीकृति, यात्राभत्ता स्वीकृति, सा.भ.निधि से अग्रिम एवं आंशिक विकर्षण के स्वीकृति आदेशों की कार्यलयीन प्रतियां ।
12	बजट	पृष्ठ रू प में	राज्य शासन से विभाग के लिये प्राप्त बजट, उसका आंबंटन बजट मांग पत्रों की कार्यालयीन प्रतियां
13	व्यय पत्रक	पृष्ठ रू प में	विभाग के लिय मद बार व्यय की जानकारी जो राज्य शासन को दी जाती है ।

14	औषधालय भवनों का किराया निर्धारण आदेश	पृष्ठ रू प में	विभागार्न्तगत कार्यरत औषधालय भवनों को किराये पर लेने की अनुमति, उनके लिये सक्षम भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित किराया आदेश की कार्यालयीन प्रतियां ।
15	वर्दी क्रय आदेश	पृष्ठ रू प में	संचालनालय में पदस्थ कर्मचारियों के लिये वर्दी क्रय हेतु जारी आदेशों की कार्यालयीन प्रतियां ।

मेन्युअल क्रमांक 7

नीति निर्धारण या प्रशासन हेतु विचार विमर्श के लिये विद्यमान कोई व्यवस्था जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व हो का विवरण

1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत राज्य में विभाग के केन्द्रों के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्थानीय समितियों का गठन किया जाता है जिसमें योजना में व्याप्त श्रमिकों के प्रतिनिधियों एवं श्रमिकों के नियोक्ताओं को प्रतिनिधी रूप में नियुक्त किया जाता है, विभाग की ओर से सदस्य रूप में सम्बंधित केन्द्र प्रभारी सम्मिलित किये जाते है । समिति के संयोजक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय कार्यालय के प्रबंधक होते हैं। इन समितियों का उद्देश्य चिकित्सा सुविधायें उपलबध करायी जाने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिये सुझाव देना है जिन पर विभागाध्यक्ष द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाती है।

2. क.रा.बी. अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सुचारू संचालन के लिये सुझावों हेतु क.रा.बी. निगम द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। जिसकी अध्यक्षता राज्य के श्रम मंत्री के द्वारा की जाती है, संयोजक, सचिव क.राबी. निगम के क्षेत्रीय निदेशक होते हैं तथा सचिव श्रम विभाग छ.ग. शासन एवं विभागाध्यक्ष सहित श्रमिकों एवं उनके नियोक्ताओं के प्रतिनिधी सदस्य रूप में नामित किये जाते हैं।

मेन्युअल क्रमांक 8

सलाह के लिये दो या इससे अधिक व्यक्तियों से गठित बोर्ड, परिषद्, कमेटी या अन्य का विवरण, साथ ही क्या इनमें आम जनता भाग ले सकती है या इनके कार्यवृत्त आम जनता को उपलबध हो सकते है ?

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें मध्य प्रदेश द्वारा हितग्राहियों कों दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के लिये केन्द्रों हेतु स्थानीय समितियों का तथा प्रदेश स्तर पर क्षेत्रीय परिषद का गठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 25 के तहत् किया जाता है।

उपरोक्त दोनों ही में आम जनता के नामित प्रतिनिधी ही भाग ले सकते हैं तथा इनके कार्यवृत्त क्रमशःक्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कोटा, रायपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

मेन्युअल क्रमांक 9

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

पद – संचालक

क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्यालय
1	डॉ. व्ही.बी. भसीन	संचालक	संचालनालय

पदनाम – बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रथम श्रेणी)

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1.	डॉ. श्रीमती विभा बाजपेई	नंदिनी रोड़
2	डॉ. ए.आर.देशपाण्डे	रायपुर
3	डॉ.ए.के.वर्मा	संचालनालय
4	डॉ. श्रीमती जयन्ती सिंह	कुम्हारी
5	डॉ. पदमाकर शर्मा	भिलाई सुपेला
6	डॉ. राजेश डेगन	रायपुर
7	डॉ. रतन कृष्ण दास	मंदिरहसौद
8	डॉ. डी.के. खोब्रागड़े	जामुल
9	डॉ. श्रीमती डी.एम.खेस	दुर्ग

पद – बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (द्वितीय श्रेणी)

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	डॉ. टी.बी.गोस्वामी	बिलासपुर
2	डॉ. शशी भूषण साव	तराईमाल
3	डॉ. वसी अहमद खान	दीपका
4	डॉ. श्रीमती एम.दुबे	रायपुर
5	डॉ. पी.के. ठाकुर	राजनॉदगॉव
6	डॉ. श्रीमती जे. लकड़ा	रायगढ़
7	डॉ. श्रीमती एस. कुमरे	राजनॉदगॉव
8	डॉ. श्रीमती संगीता डेगन	रायपुर
9	डॉ. अखिलेश त्रिपाठी	बाल्को नगर
10	डॉ. श्रीमती संगीता गजभिये	रायपुर
11	डॉ. दिलीप कुमार जीपकाटे	रायपुर
12	डॉ. टीकम सिंह नर्मदा	चॉपा
13	डॉ. जीवन कुमार	टेडेसरा
14	डॉ. सुखसागर तिवारी	बैकुंठ (तिल्दा)
15	डॉ. सुरजित डे	भिलाई
16	डॉ. मनोज वैष्णव	रायपुर

17	डॉ. प्रतीक खरे	डायग्नोस्टिक सेन्टर
18	डॉ. दिग्विजय सिंह	कोरबा
19	डॉ. श्रीमती पुष्पा पन्ना	भिलाई
20	डॉ. श्रीमती स्मृति शर्मा	रायपुर
21	डॉ. श्रीमती अनीता केसवानी	डायग्नोस्टिक सेन्टर
22	डॉ. धरमपाल सिंह	जामगॉव
23	डॉ. श्रीमती सीमा मेघानी	डायग्नोस्टिक सेन्टर
24	डॉ. मुकेश कुमार भारती	पतरापाली
25	डॉ. श्रीमती चन्द्रमणी कुर्रे	रायपुर
26	डॉ. कांता राम वैद्य	नवापारा–राजिम
27	श्रीमती निहारिका ध्रुव	धमतरी
28	डॉ. प्रदीप कुमार सिंह	पतरापाली
29	डॉ. विजय शाडिल्य	हिरमी
30	डॉ. सौरभ त्यागी	संचालनालय
31	डॉ. बृजेश कुमार गोले	सीपत
32	डॉ. श्रीमती भावना देवांगन	भिलाई
33	डॉ. श्रीमती मीनाक्षी राठोड़	मंदिरहसौद केन्द्र
34	डॉ. रंजना साहू	बिलासपुर केन्द्र
35	डॉ. मनप्रीत सिंग भाटिया	रसमड़ा
36	डॉ. सोनाली तंवर	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
37	डॉ. चन्द्रमणि	दर्रीजमनीपाली (कोरबा) केन्द्र
38	डॉ. श्रीमती सूर्या वर्मा	दुर्ग
39	डॉ. निशी खरे	डायग्नोस्टिक सेन्टर रायपुर
40	डॉ. शैलेष कुमार चन्द्राकर	भिलाई–3
41	डॉ. सुरेश कुमार चौधरी	तराईमाल
42	डॉ. उमेश कुमार सोनवानी	सेजबहार–डूंडा
43	डॉ. विभा भीमसेरिया	मदिरहसौद
44	डॉ. हिमांशु शर्मा	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
45	डॉ. दिनेश कुमार साहू	बिल्हा
46	डॉ. मंजरी सहाय	रायपुर केन्द्र
47	डॉ. समिता दास	कुम्हारी केन्द्र
48	डॉ. तारेन्द्र कुमार देवांगन	राजनांदगॉव केन्द्र
49	डॉ. उत्पल कुमार चन्द्राकर	रायपुर
50	डॉ. ज्योति मीनपाल	रायपुर केन्द्र
51	डॉ. लाल मोहन पटेल	पतरापाली
52	डॉ. आभा देशलहरे	भिलाई
53	डॉ. प्रशांत सुखदेवे	तुमडीबोर्ड
54	डॉ. राहुल कुमार साहू	रायपुर
55	डॉ. अमृतलाल भारद्वाज	रसमड़ा केन्द्र
56	डॉ.घनश्याम मेश्राम	अकलतरा

57	डॉ. प्रियंका खलको	दुर्ग
58	डॉ. लतिका लता	सेजबहार–डूंडा
59	डॉ. रविकांत कुजूर	तमनार
60	डॉ. रीता रानी	रायपुर
61	डॉ. रेश्मा भगत	रायपुर केन्द्र
62	डॉ. प्रफुल्ल चंद मिंज	बलौदाबाजार
63	डॉ. कमलेश टिडगाम	भिलाई सुपेला केन्द्र
64	डॉ.निखिल कुमार बंसल	सिलतरा
65	डॉ. मनोज वर्मा	सारंगढ–चन्द्रपुर
66	डॉ. रूबी मेरी वर्गेस	रिसाली–मरौदा केन्द्र
67	डॉ. रवि कमल महोबिया	बाल्को नगर केन्द्र
68	डॉ. मोहनिश साहू	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
69	डॉ. अभिजीत कुमार पटेल	बाल्को नगर केन्द्र
70	डॉ. समता टेम्भुर्ने	जामुल केन्द्र
71	डॉ. अनीशा मसीह	दर्रीजमनीपाली केन्द्र (कोरबा)
72	डॉ. नरसिम्हा मूर्ति तनेती	भाटापारा केन्द्र
73	डॉ. अनुपम मिंज	सीपत
74	डॉ. रोशनी मिश्रा	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र

पद – सहायक ग्रेड–2

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्री एल.के.भोई	बाल्को नगर
2	श्री यू.एस.स्वर्णकार	भिलाई
3	श्री एम.आर. कुम्बलकर	संचालनालय
4	श्री आर.के.सिंह	राजनॉदगॉव
5	श्री आर.प्रधान	रायपुर
6	श्रीमती किरण महापात्र	संचालनालय
7	श्री घनश्याम जॉगड़े	मंदिरहसौद
8	श्री हेमराज सोनी	धमतरी
9	श्री पीयुषदीन	रायपुर
10	श्रीमती प्रतिमा बघेल	नंदिनीरोड
11	श्री राजेश कामड़े	बैकुंठ (तिल्दा)
12	कुमारी बिरसमुनि भगत	रायगढ़
13	श्री सुरेन्द्र भगत	कोरबा
14	श्रीमती शारदा चन्द्रवंशी	संचालनालय

पदनाम – सहायक ग्रेड–3

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्री आर.कुलश्रेष्ठ	रायपुर
2	श्री गणेश हरपाल	रायपुर
3	श्री वेंकटेश्वर	कोरबा
4	श्री श्याम कुमार बिछियॉ	कुम्हारी
5	श्री राधाकिशन देवांगन	रायपुर
6	श्री सुरेश चौहान	बाल्को नगर
7	श्री हेमसिंह	सीपत
8	रूपेश कुमार जांगड़े	संचालनालय
9	रमेश कुमार निषाद	भिलाई सुपेला
10	श्रीमती कान्ता बिछवानी	रसमड़ा
11	श्री रामेश्वर साहू	नवापारा–राजिम
12	श्री मोहन लाल साहू	संचालनालय
13	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	धमतरी केन्द्र
14	कु. धनेश्वरी साहू	रायपुर केन्द्र
15	श्री करण कुमार केवट	रायगढ़ केन्द्र
16	श्री नीरज शर्मा	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
17	श्री नीलम कुमार साहू	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
18	श्री सुनील पुरी गोस्वामी	डभरा केन्द्र
19	श्री विवेक कुमार यादव	बिल्हा केन्द्र
20	श्री खिलेन्द्र कुमार वर्मा	रायपुर केन्द्र
21	श्रीमती मधुबाला विश्नोई	भिलाई सुपेला केन्द्र
22	श्री मनीष कुमार भोंडेकर	मंदिरहसौद केन्द्र
23	श्री डी.के. रत्रश नंद,	रसमड़ा केन्द्र
24	श्री ईश्वर प्रसाद सोने	पताड़ी केन्द्र
25	कु. सर्जना देवांगन	डायग्नोस्टिक सेन्टर
26	श्री हेमंत कुमार ठाकुर	डायग्नोस्टिक सेन्टर
27	कु. अनन्पूर्णा देशमुख	दुर्ग केन्द्र
28	श्री राजेश रोशन तिग्गा	बिल्हा केन्द्र
29	श्री मीरास कुमार टोप्पो	दीपका केन्द्र
30	श्री विजय कुमार साहू	डायग्नोस्टिक सेन्टर
31	कु. पुष्पा ध्रुव	जामगॉव केन्द्र
32	श्रीमती ममता ध्रुव	रिसाली–मरौदा केन्द्र
33	श्रीमती सुधा जार्केय	दुर्ग केन्द्र
34	देवेन्द्र नायक	बालौदाबाजार केन्द्र
35	श्रीमती माधुरी पाण्डेय	बिलासपुर
36	यामिनी केशरवानी	पताड़ी केन्द्र
37	हेमंत कुमार राठिया	भूपदवपुर
38	प्रमोद कुमार पैंकरा	बलौदाबजार

39	देवेन्द्र कुमार नेताम	हथखोज
40	कुलदीप सिंह ध्रुव	बैकुंठ (तिल्दा)
41	श्री महेश्वर पटेल	तराईमाल
42	श्री योगेश्वर साहू	तमनार

पदनाम – स्टेनोग्राफर

क्रमांक	नाम	केन्द्र का नाम
1	श्री राहुल सिंह	संचालनालय

पद – डाटा एण्ट्री ऑपरेटर

कं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्री नवीन कुमार अग्रवाल	संचालनालय
2	कु. नेहा शर्मा	डायग्नोस्टिक सेन्टर
3	श्री प्रमोद कुमार	भिलाई सुपेला केन्द्र
4	श्री निशांत नामदेव	बिलासपुर केन्द्र
5	श्री मो. तैयुब अंसारी	टेडेसरा
6	श्री आफाक अहमद हैदरी	जामुल केन्द्र
7	श्री ठाकुर राम	कुम्हारी केन्द्र
8	श्री गोपाल प्रसाद सोनी	रायपुर केन्द्र
9	श्री ओंकार प्रसाद साहू	मंदिरहसौद केन्द्र
10	श्री विरेन्द्र कुमार ध्रुव	धमतरी केन्द्र
11	श्री मणीशंकर लहरे	जामगॉव केन्द्र
12	श्री महेन्द्र कुमार दिव्य	पताड़ी केन्द्र
13	कु. नीरजा श्रीवास्तव	रिसाली–मरौदा
14	दुलेश्वरी साहू	दुर्ग केन्द्र
15	ममता साहू	अकलतरा केन्द्र
16	जयश्री बिछिया	रायपुर केन्द्र
17	श्री राकेश कुमार भगत	कोरबा केन्द्र
18	कु. यशोदा वर्मा	बैकुंठ केन्द्र
19	श्री फलेश्वर प्रसाद ध्रुव	नवापारा–राजिम
20	श्री अरविन्द कुमार ध्रुव	हथखोज केन्द्र
21	श्री जागेश्वर ध्रुव	रसमड़ा
22	कु. जयमती पैकरा	बलौदाबाजार केन्द्र
23	कु. भगवती ध्रुव	बिल्हा
24	श्री रूपेन्द्र कुमार साहू	सेजबहार
25	श्री सचिन कुमार चोपकर	संचालनालय
26	श्री ललित कुमार बघेल	भिलाई–3

27	श्री डियेश कुमार जांगडे	रायपुर केन्द्र
28	श्री कमल प्रसाद चन्द्रा	दर्रीजमनीपाली
29	नमिता डे	रायपुर केन्द्र
30	भूषणदान लकड़ा	तराईमाल
31	भगवान सिंह पैंकरा	हिरमी
32	श्री शंकर लाल	चॉपा
33	श्री प्रहलाद कुमार साहू	भाटापारा
34	सरिता डहरे	दीपका

पद – स्टाफ नर्स

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्रीमती मंजूला भारती	रायपुर
2	श्रीमती मीरा पाराशर	रायगढ़
3	श्रीमती अंजना मसीह	नंदिनी रोड
4	कुमारी सन्तोष राव	रायपुर
5	श्रीमती बीनू सोनी	रायपुर
6	श्रीमती मीना टॉक	डायग्नोस्टिक
7	श्रीमती शशीकला बाम्बोड़े	रायपुर
8	श्रीमती अर्चना मसीह	सीपत केन्द्र
9	श्रीमती अर्चना राजसिंग	रायपुर
10	श्रीमती मीना नागर	बैकुंठ
11	श्रीमती अनुपमा जोफर	चॉपा
12	श्रीमती वर्णिका सिंह	धमतरी
13	श्रीमती आकांक्षा जेम्स	हथखोज
14	श्रीमती मंजुलता (कोकिला) ठाकुर	टेडेसरा
15	कुमारी मृदुला पुराम	रायपुर
16	श्रीमती जोशी ग्रेस (राय) तिग्गा	रायपुर
17	श्रीमती कुमारी (ठाकुर)धुर्वा	राजनांदगॉव
18	श्रीमती श्वेता बाखला	डायग्नोस्टिक
19	श्रीमती शुभा बेनी बेबी	जामगॉव
20	श्रीमती जेस्सी सी थामस	बिलासपुर
21	कु. गीताबाला देवांगन	भिलाई
22	श्रीमती भानुमति चौधरी	हथखोज
23	लीना शाजी	रायपुर
24	श्रीमती शशीप्रभा देवांगन	भिलाई
25	श्रीमती सुशीला सिन्हा	भिलाई
26	कु.खूशबू ध्रुव	कुम्हारी

27	श्रीमती ममता पटेल	रिसाली मरौदा
28	श्रीमती अरूणा राय सोने	कोरबा
29	कु. दिव्या गेडाम	भिलाई सुपेला
30	कु. दीपमाला राठौर	नंदिनीरोड
31	श्रीमती शशिलता साहू	चॉपा
32	श्रीमती प्रियंका यादव	पतरापाली
33	श्रीमती तेजस्वी गणवीर	रसमड़ा
34	कु. सुमन साहू	मंदिरहसौद
35	कु. भरोसी कुजूर	पतरापाली
36	श्रीमती रश्मि नारंग	धमतरी
37	श्रीमती मेरी संगीता एक्का	दर्रीजमनीपाली
38	श्रीमती तामेश्वरी सार्वा	डाय. सेन्टर
39	योगमाया साहू	पतरापाली
40	श्रीमती मंजुलता राणा	डाय. सेन्टर
41	कु. कविता वर्मा/टैकराम वर्मा	भाटापारा
42	कु. कविता वर्मा/तिलक राम वर्मा	मंदिरहसौद
43	कु. अंजना कमलेश	बाल्को
44	कु. कमला भारद्वाज	चॉपा
45	श्रीमती गीतांजली यादव	दुर्ग
46	कु. दुर्गा बिछिया	नवापारा–राजिम
47	कु. आरती पटेल	कोरबा
48	कु. चंदारानी गुप्ता	दर्रीजमनीपाली
49	श्रीमती किरण लाल	तुमडीबोर्ड केन्द्र
50	श्री आशीष कुमार देवरी	डायग्नोस्टिक
51	कु. दिव्या राजपूत	भिलाई–3 केन्द्र
52	श्रीमती चन्द्रकला वर्मा	दुर्ग केन्द्र
53	श्रीमती तोमेश्वरी पंडित	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
54	रोनाल्ड टाईटस	जामुल केन्द्र
55	कु. नैनसीमा कुमार	सीपत केन्द्र
56	कु. अनिता शर्मा	बाल्को केन्द्र
57	श्रीमती बबिता वाल्टर	धमतरी केन्द्र
58	श्री नमेश्वर कुमार वर्मा	सिलतरा
59	कु. तारामनी टोप्पो	बिल्हा केन्द्र
60	श्रीमती सबी माग्रेट टोप्पो	दीपका

61	श्री पंकज कुमार	भाटापारा
62	निहारिका नायक	तमनार
63	कु. श्रद्धा वर्मा	रसमड़ा केन्द्र
64	श्रीमती योगेश्वरी पटेल	रिसाली–मरौदा केन्द्र
65	श्रीमती जम्बुवती नायक	जामुल केन्द्र
66	कु. सुस्मिता चद्राकर	अकलतरा केन्द्र
67	श्रीमती दिव्या शिखा मसीह	दर्रीजमनीपाली केन्द्र
68	कु. घुलेश्वरी धुर्वे	सीपत केन्द्र
69	श्री दिलीप कुमार	तराईमाल केन्द्र
70	श्रीमती किरण	रिसाली–मरौदा केन्द्र
71	श्रीमती आराधना गुप्ता	सिलतरा
72	कु. अनिता नेताम	अकलतरा केन्द्र
73	कु. इन्दुमति लकड़ा	पताड़ी केन्द्र
74	कु. अनिता एक्का	पताड़ी केन्द्र
75	कु. वर्षा कंवर	सेजबहार
76	कु. रामेश्वरी ठाकुर	तुमडीबोर्ड केन्द्र
77	सौम्या कुमारी	अकलतरा केन्द्र
78	कस्तुरी पटनायक	राजनांदगॉव केन्द्र
79	श्रीमती रूबा अत्याला	डायग्नोस्टिक
80	श्रीमती प्रतिभा वर्मा	रायपुर
81	रंजना रात्रे	रायपुर
82	ललिता बारले	नंदिनी रोड
83	श्रीमती माधुरी बंजारे	नंदिनी रोड
84	मिनाक्षी कश्यप	सेजबहार
85	अनिता तिर्की	भूपदेवपुर
86	अबनेजर तिर्की	तराईमाल केन्द्र
87	नेहा साहू	नंदिनी रोड
88	सरोज	बाल्को केन्द्र
89	प्रियंका परीदा	बाल्को केन्द्र
90	नंदिनी	रायगढ़

91	सृष्टि सेन	बलौदाबाजार
92	श्रीनाथ पुरी गोसाई	तमनार
93	सुमन साव	भिलाई–3 केन्द्र
94	संतोषी साहू	बाल्को केन्द्र
95	श्रद्धा साहू	हथखोज
96	पोलस्य कुमार बंजारे	हिरमी केन्द्र
97	अंजू भोंडेकर	बैकुंठ
98	रीना तिर्की	दीपका
99	हेमलता	सिलतरा
100	खिलेश्वरी ध्रुव	नवापारा–राजिम
101	रोशन प्रिया भगत	भूपदेवपुर
102	अंजीता पैंकरा	सारंगढ़–चन्द्रपुर
103	संगीता एक्का	बलौदाबाजार
104	रेणुका चन्द्रवंशी	रसमडा
105	यामिनी	टेडेसरा
106	अरूणा कुजूर	बाल्को केन्द्र
107	जानकी	सारंगढ़–चन्द्रपुर
108	परमेश्वरी मडरिया	दीपका

पद – मिडवाइफ

क्रमांक	नाम	केन्द्र का नाम
1	कुमारी रेखा मलिक	तुमडीबोड
2	कु. रजनी साहू	रायगढ़
3	श्रीमती वत्सला देवांगन	रायपुर
4	टिकेश्वरी साहू	रायपुर
5	कु. येसुना सुदामा	कुम्हारी
6	श्रीमती अश्वनी मार्गिया	राजनांदगॉव

पदनाम – फार्मासिस्ट ग्रेड–2

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्री चौवालाल साहू	कोरबा
2	श्री ललित कुमार चौहान	पतरापाली
3	श्री तपन कुमार सेन	नंदिनी रोड
4	श्री आर.आर.सेन	राजनॉदगॉव
5	श्री युगल किशोर शर्मा	बिलासपुर

6	श्री भीम लाल मोटघरे	रायपुर
7	श्रीमती मधु बघेल	रायपुर
8	श्री पवन कुमार बघेल	रायपुर
9	श्री राकेश सिंह	हथखोज
10	श्री रमेश कोसरे	नंदिनी रोड
11	श्री मोहम्मद जहीर शेख	टेडेसरा
12	श्री सत्येन्द्र मिश्रा	नंदिनी रोड
13	श्रीमती प्रज्ञा पटेल	कुम्हारी
14	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार साहू	भिलाई
15	श्री मनोज कुमार साहू	डाय. सेन्टर
16	श्री रोशन कुमार पटेल	सीपत
17	श्री विद्याभूषण प्रधान	भिलाई
18	श्री शरद वर्मा	रायपुर
19	श्री योगश कामड़े	रायगढ़
20	श्री दिलीप रात्रे	चॉपा
21	श्रीमती नेहा भगत	बाल्को नगर
22	कु. वर्षा त्रिगुणायत	सीपत
23	कु. शिप्रा पाण्डेय	रायपुर
24	श्रीमती शिफा जावेद	दुर्ग
25	श्रीमती वेणु साहू	दुर्ग
26	श्रीमती श्वेता शर्मा	बाल्को नगर
27	नेहा यादव	संचालनालय
28	श्री श्रीकांत कौशिक	बिल्हा
29	श्रीमती ज्योत्सना देवांगन	जामुल केन्द्र
30	श्रीमती चेवेन्तिका वर्मा	रसमड़ा
31	कु. अंजू पटेल	बाल्को
32	श्रीमती प्रेरणा जाटवर	रसमड़ा
33	श्री महेन्द्र कुमार	धमतरी
34	कु. हितेश्वरी	नंदिनीरोड
35	श्री उमेश कुमार	दीपका
36	कु. हेमलता राठियॉ,	तराईमाल
37	एलीन टोप्पो	दर्रीजमनीपाली केन्द्र
38	कुमारी कल्पना राठौर	दर्रीजमनीपाली केन्द्र
39	श्री भीम कुमार यादव	मंदिरहसौद केन्द्र
40	श्री वशिष्ठ राम	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र

41	श्री हीरा नन्द देवांगन	नवापारा–राजिम केन्द्र
42	श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा	राजनांदगॉव केन्द्र
43	श्रीमती अनुराधा बघेल	रिसाली–मरौदा केन्द्र
44	श्री मनीष कुमार राजपुत ठाकुर	बैकुंठ
45	कु. भूमिका मधुकर	अकलतरा केन्द्र
46	श्री अभिनव चन्द्राकर	मंदिरहसौद केन्द्र
47	श्रीमती कामना पटेल	सेजबहार
48	कु. निशा कश्यप	बिल्हा
49	श्री वीरेन्द्र कुमार बिझेकर	तुमडीबोर्ड केन्द्र
50	श्री अविनाश कुर्रे	सारंगढ़–चन्द्रपुर
51	श्री फलित बर्वे	बलौदाबाजार केन्द्र
52	श्री अश्वनी कुमार निर्मलकर	बलौदाबाजार केन्द्र
53	मनीषा मण्डावी	रिसाली–मरौदा केन्द्र
54	ज्वाला ठाकुर	भिलाई –3 केन्द्र
55	श्री परमानंद ध्रुव	भाटापारा
56	श्री अजय कुमार सिंह	रायपुर
57	श्री अनिल कुमार ध्रुव	पताड़ी केन्द्र
58	वंदना तिग्गा	जामगॉव केन्द्र
59	श्री सतीश कुमार सूर्यवानी	तुमडीबोड
60	श्री त्रिलोचन गिरी गोस्वामी	तमनार
61	श्री सतवंत सिंह	सिलतरा
62	श्री अरूण कुमार नायक	भूपदेवपुर
63	श्री बिसहत राम वर्मा	सेजबहार

पदनाम – ड्रेसर

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्री हेमलाल साहू	नंदिनी रोड
2	श्री घनश्याम भोई	बिलासपुर
3	श्री जय शंकर नायक	भिलाई
4	श्री मोहन दास बंजारे	बैकुंठ (तिल्दा)
5	श्री मनोज कुमार वर्मा	दीपका
6	श्री जितेन्द्र कुमार भुवाल	हथखोज
7	श्री कोशल कान्त	हथखोज
8	श्री मनोज कुमार साहू	टेडेसरा
9	श्री कमलेश कुमार साहू	भिलाई

10	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	रायपुर
11	श्री चन्द्रभूषण बंजारे	डाय. सेन्टर
12	चन्द्रमणि	जामुल
13	डोगेन्द्र कुमार वर्मा	बलौदाबाजार
14	उमेश कुमार पांडे	रिसाली–मरौदा
15	गोपेश कुमार यदु	नवापारा–राजिम
16	अजय कुमार यादव	दुर्ग
17	अमित कुमार शर्मा	रायपुर
18	शीतल कुमार साहू	दुर्ग
19	दिनेश कुमार साहू	चॉपा
20	दिनेश्वर प्रकाश सोनी	डाय.सेन्टर
21	लालेश कुमार	राजनांदगॉव
22	अजय कुमार पटेल	भूपदेवपुर
23	सुभाष चन्द्र साहू	रसमड़ा
24	रोशन कुमार वर्मा	बलौदाबाजार
25	हरिशंकर पटेल	चॉपा
26	पालेश्वर प्रसाद कौशिक	सीपत
27	सुनील कुमार पटेल	जामुल
28	सोमेश कुमार जांगड़े	रायपुर
29	बिसेन कुमार वर्मा	भिलाई–3
30	प्रवीण कुमार देवांगन	तुमडीबोर्ड
31	मुकेश कुमार नायक	बिल्हा
32	डालेश्वरी बंजारे	भिलाई–3
33	देवनाथ	भाटापारा
34	गुलशन कुमार कौशल	सिलतरा
35	निर्मल प्रसाद भारद्वाज	अकलतरा
36	नरेन्द्र कुमार पाटले	रायगढ़
37	जगदीश ब्रम्हा	पतरापाली
38	अजय कुमार साहू	बाल्को
39	प्रभात कुमार चन्द्रवंशी	पताडी
40	संतोष उइके	तराईमाल
41	इन्द्रपाल सिंह	दर्रीजमनीपाली
42	रामेन्द्र सिंह ध्रुवे	सेजबहार
43	श्री संदीप कुमार ठाकुर	धमतरी
44	श्री बृजेश कुमार राज	बाल्को नगर
45	श्री संदीप कुमार सत्यवान	बिल्हा
46	श्री रामदास मानिकपुरी	कोरबा

47	श्री हितेश कुमार	मंदिरहसौद
48	श्री सुखराम धीवर	सिलतरा

पदनाम – लैब टेक्नीशियन

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्रीमती वत्सलासजी कुमार	नंदिनी रोड
2	संदीप कंवर	डायग्नोस्टिक सेन्टर
3	हेमलाल साहू	डायग्नोस्टिक सेन्टर

पदनाम – वाहन चालक

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्री सत्येन्द्र कुमार	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
2	श्री गोपेश्वर प्रसाद साहू	रायपुर केन्द्र
3	श्री ओमप्रकाश कोमा	पतरापाली
4		(रायगढ़) केन्द्र
5	श्री संतोष कुमार	अकलतरा केन्द्र
	श्री बुन्देश्वर गेन्ड्रे	बाल्को केन्द्र
6	श्री अभिषेक निकुंज	सीपत केन्द्र
7	श्री मनबीर सिंह कंवर	कोरबा केन्द्र

पद – चतुर्थ श्रेणी

क्रं.	कर्मचारी का नाम	कार्य स्थल
1	श्री सियाराम	रायगढ़
2	श्री रामू रिगरी	रायपुर
3	श्री राम कुमार निषाद	कुम्हारी
4	श्री भीषम सिंह	नंदिनी रोड
5	श्रीमती चन्द्रकला सोनवानी	राजनॉदगॉव
6	श्री सस्तुराम भगत	रायगढ़
7	श्री गेन्द राम बरेठ	बिलासपुर
8	श्रीमती भानूमति यादव	बिलासपुर

9	श्री पी.आर.पाण्डे	राजनॉदगॉव
10	श्री विजय कुमार देवागंन	रायपुर
11	श्री मधु सूदन गोस्वामी	बिलासपुर
12	श्री मोहितराम श्रीवास	बिलासपुर
13	श्री बीरवल रनसूरे	संचालनालय
14	श्री गोविन्द चौहान	बिलासपुर
15	श्री हीरा लाल गायकवाड़	रसमड़ा
16	श्री संतोष ठाकुर	रायपुर
17	श्री नरेश कुमार	रायपुर
18	श्री बृजलाल सोरी	रायपुर
19	श्री अशोक कुमार नेताम	रायपुर
20	श्री भागवत राम ध्रुव	सिलतरा
21	श्री रवि शंकर परौहा	हथखोज
22	श्री प्रकाश रनसूरे	हथखोज
23	श्री यादव देवागंन	मंदिरहसौद
24	श्री अश्वनी श्रीवास्तव	टेडेसरा
25	श्री तुकेश्वर प्रसाद वर्मा	तमनार केन्द्र
26	श्री शादाब खान	तराईमाल केन्द्र
27	श्रीमती संध्या सिंह	हथखोज
28	कुमारी युनिस जॉन	चॉपा
29	श्री शिव कुमार ध्रुव	चॉपा
30	श्रीमती पूर्णिमा वट्टी	रायपुर
31	श्री श्याम लाल बरिहा	तमनार केन्द्र
32	कुमारी संगीता भगत	कुम्हारी
33	श्रीमती लिपिका भट्टाचार्य	भिलाई
34	शेख हुसामुद्दीन	संचालनालय
35	विष्णु प्रसाद तांत्रे	कोरबा
36	नरेन्द्र पांडे	टेडेसरा
37	मानिकलाल	भिलाई
38	कमल किशोर लहरे	कोरबा
39	अमर सिंग	कोरबा
40	माला बाई	रायपुर
41	जगमैत	कोरबा
42	उत्तम साहू	डाय. सेन्टर

43	टीमन बाई	भिलाई
44	श्रीमती मनोरमा सोनटक्के	राजनांदगॉव
45	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	भिलाई–3 केन्द्र
46	श्री इंद्रजीत सिंह	संचालनालय
47	श्री महेन्द्र कुमार साहू	डायग्नोस्टिक सेन्टर रायपुर
48	श्री हरीश कुमार बैरवा	नवापारा–राजिम केन्द्र
49	श्रीमती नीता जैन	रायपुर केन्द्र
50	श्री चंदू लाल साहू	जामुल केन्द्र
51	श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा	मंदिरहसौद केन्द्र
52	श्रीमती अनिता राजपूत	बैकुंठ (तिल्दा) केन्द्र
53	श्री धनंजय वर्मा	रिसाली–मरौदा केन्द्र
54	श्री नित्यानंद प्रधान	रायगढ़ केन्द्र
55	श्रीमती जयश्री वर्मा	भिलाई–3 केन्द्र
56	श्री गोकुल राम	नवापारा–राजिम केन्द्र
57	श्री भूपेन्द्र कुमार	बैकुंठ (तिल्दा) केन्द्र
58	श्री खगेश कुमार पटेल	अकलतरा केन्द्र
59	श्री जयपाल यादव	दर्रीजमनीपाली केन्द्र
60	श्री बालमुकुंद	भिलाई (सुपेला)
61	श्री इन्द्रजीत सिंह	धमतरी केन्द्र
62	ई. गणपति	भिलाई (सुपेला)
63	श्री अशोक अग्रवाल	नंदिनी रोड केन्द्र
64	श्री डी. आनंदराव	जामुल केन्द्र
65	श्रीमती चन्द्रकला साहू	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
66	श्री रवि लाल सिन्हा	तुमड़ीबोर्ड केन्द्र
67	श्री मोहम्मद अनवर हुसैन	सीपत केन्द्र
68	श्री कामेश्वर लाल यादव	बाल्को केन्द्र
69	श्री गुलजार सिंह ठाकुर	रायपुर
70	श्री हुमन लाल	अकलतरा केन्द्र
71	श्री योगेश कुमार साहू	रसमड़ा केन्द्र
72	श्री नारायण कुमार धीवर	बलौदाबाजार
73	श्री हरिशचन्द्र	संचालनालय
74	श्री वासुदेव साहू	हथखोज केन्द्र

75	श्री प्रकाश कुमार यादव	पतरापाली केन्द्र
76	श्री गोविन्द्र कुमार साहू	नवापारा–राजिम
77	श्री प्रमोद कुमार साहू	तराईमाल केन्द्र
78	श्री अनिल कुमार कर्ष	दर्रीजमनीपाली
79	श्री विजय किरण टण्डन	मंदिरहसौद केन्द्र
80	श्री खगेश कुमार लहरे	भूपदेवपुर केन्द्र
81	श्री ओमप्रकाश ध्रुव	जामगॉव केन्द्र
82	श्री अरूण कुमार बंजारे	कुम्हारी केन्द्र
83	श्री उत्तरा कुमार रात्रे	पतरापाली
84	श्री गिरिश कुमार धमगाये	राजनांदगॉव केन्द्र
85	श्री धमेन्द्र कुमार राय	बिल्हा केन्द्र
86	श्री प्रहलाद खुंटे	बाल्को नगर केन्द्र
87	श्री गौतम कुमार	दर्रीजमनीपाली
88	श्री राजेन्द्र कुमार लहरे	डभरा केन्द्र
89	श्री राम गोपाल मलहोत्रा	पताड़ी
90	श्री लेख राम जोशी	तमनार केन्द्र
91	श्री परमेश्वर	दुर्ग
92	श्री उमेन्द्र कुमार	भूपदेवपुर केन्द्र
93	श्री संजय कुमार साहू	तुमडीबोर्ड केन्द्र
94	श्री शेषनारायण पटेल	धमतरी केन्द्र
95	श्री राकेश ध्रुव	सीपत केन्द्र
96	श्रीमती सुलेखा देवी पटेल	सीपत केन्द्र
97	श्री नेत्रध्वज बाघ	तराईमाल केन्द्र
98	श्री हरिशंकर सिंह	भिलाई–3 केन्द्र
99	श्री खुमेश कुमार कोमर्रा	अकलतरा केन्द्र
100	श्रीमती नेमा धृतलहरे	दुर्ग केन्द्र
101	श्री विनय प्रकाश लकड़ा	रायपुर केन्द्र
102	श्री भागवत राम कृपाल	नंदिनी रोड (खुर्सीपार) केन्द्र
103	श्री पुष्पराज सिंह राज	दर्रीजमनीपाली
104	श्रीमती ललिता जायसवाल	रायगढ़ केन्द्र
105	श्री राकेश कुमार पैंकरा	रायगढ़ केन्द्र
106	श्री कामदेव ध्रुव	रायपुर

107	श्री द्रोणाचार्य सोरी	रिसाली–मरौदा
108	श्रीमती मनोरमा वर्मा	बलौदाबाजार
109	श्री समाज सिंह पैंकरा	चॉपा
110	गायत्री तिवारी	धमतरी केन्द्र
111	श्रीमती मीना मरकाम	टेडेसरा केन्द्र
112	श्री खगेश्वर प्रसाद बेन्द्रे	कोरबा केन्द्र
113	हेमलता	तुमडीबोर्ड केन्द्र
114	श्री हरनारायण सिंह पोर्ते	कोरबा केन्द्र
115	श्रीमती विमला कर्ष	चॉपा
116	श्री मिलन कुमार	बलौदाबाजार
117	पूजा कुमारी साहनी	जामुल केन्द्र
118	श्री दुलेश्वर प्रसाद ध्रुव	बलौदाबाजार केन्द्र
119	श्री योगेश्वर पारेश्वर	जामगॉव केन्द्र
120	श्री जयदेव राम टेकाम	कुम्हारी केन्द्र
121	कु. नीतू साहू	नवापारा–राजिम केन्द्र
122	श्री विजय कुमार	बिल्हा केन्द्र
123	श्री दशरथ सिंह राज	चॉपा केन्द्र
124	श्री अनुराम	भिलाई
125	श्री सत्येन्द्र सिंह मरावी	डायग्नोस्टिक सेन्टर रायपुर
126	श्री रमन लाल कृपाण	भूपदेवपुर केन्द्र
127	श्रीमती बसंती यादव	धमतरी
128	श्रीमती रानू वैष्णव	भाटापारा केन्द्र
129	श्रीमती नंदिनी साहू	हिरमी रवान
130	श्रीमती भारती साहू	बलौदाबाजार केन्द्र
131	श्रीमती गोमती चन्द्राकर	रिसाली– मरौदा केन्द्र
132	श्रीमती ज्योति मेश्राम	रायपुर
133	कु. धनेश्वरी सोनल	अकलतरा केन्द्र
134	श्रीमती यशोदा ध्रुव	मंदिरहसौद केन्द्र
135	श्रीमती किरण सिंह	जामगॉव केन्द्र
136	श्रीमती लीला चेलक	रसमड़ा केन्द्र
137	कु. सुषमा पाटले	भूपदेवपुर केन्द्र
138	सेवती कुमारी दीवान	रायपुर

139	श्रीमती शांतिबाई कवंर	पताडी केन्द्र
140	श्रीमती नूतन सिंह	डायग्नोस्टिक सेन्टर रायपुर
141	श्रीमती विमला ठाकुर	रायपुर केन्द्र
142	कु. रितिका कवंर	बाल्को नगर केन्द्र
143	कु. महेश्वरी	हिरमी रवान
144	श्रीमती लुसिया लकड़ा	संचालनालय
145	हेमलता ठाकुर	रायपुर केन्द्र
146	श्री शंभु सिंह कंवर	अकलतरा केन्द्र
147	श्री बुलेन्द्र कुमार	घमतरी
148	कु अरूणा किण्डो	बिल्हा केन्द्र
149	श्री ओमप्रकाश पटेल	दीपका
150	श्री महेश तिवारी	सेजबहार
151	फणीन्द्र कुमार साहू	तमनार केन्द्र
152	श्री सुनील अरोरा	भिलाई–3 केन्द्र
153	श्री अशोक कुमार ठाकुर	सीपत केन्द्र
154	कु. प्रियंका जायसवाल	बैकुंठ
155	श्री देवउत्र कुमार कुंजाम	सेजबहार
156	कु. संगीता धुरी	दीपका
157	कु. सरोज यादव	सेजबहार
158	कु. चन्द्रकली वर्मा	जामुल
159	श्री रविशंकर ध्रुव	हिरमी रवान
160	श्री शहाबुद्दीन	नंदिनी रोड
161	श्री कमलेश कुमार देवांगन	रायपुर केन्द्र
162	श्री बालक राम बहला	पतरापाली केन्द्र

मेन्युअल क्रमांक 10

बीमितों को चिकित्सा पुनर्भुगतान/अग्रिम हेतु दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
—00—

क्रमांक एफ 10—2/2005/16 (पार्ट), नया रायपुर, दिनांक: 26/05/2018

प्रति,

संचालक,
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें,
इंद्रावती भवन, ब्लॉक—सी,
द्वितीय तल, नया रायपुर, (छ0ग0).



विषय :— बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर द्वितीयक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने तथा चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने के दिशा—निर्देश के संबंध में।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमितों तथा उनक परिवार के सदस्यों को चिकित्सा हितलाभ देने के लिए पूर्व में जारी दिशा—निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:—

1. हितग्राहियों को बीमा औषधालयों में उपलब्ध बाह्यरोगी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएगी। अंतः रोगी चिकित्सा सुविधाएं शासकीय चिकित्सालयों, शासन द्वारा तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा मान्य/अनुबंधित चिकित्सालयों द्वारा दी जाएगी।
2. औषधालयों में कार्यरत् बीमा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा मरीजों को आवश्यकतानुसार राज्य के किसी मान्य/अनुबंधित चिकित्सालयों में उपचार हेतु भेजा जा सकेगा। राज्य से बाहर उपचार करवाने की अनुमति संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा दी जायेगी।
3. औषधियों तथा चिकित्सा जांच पर किये गये व्यय का संबंधित विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किये गये देयक प्रस्तुत करने पर पुनर्भुगतान किया जा सकेगा। यह भुगतान सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित दर/पैकेज (नागपुर में देय Non Nabh दर) के अनुसार किया जायेगा।
4. चिकित्सक द्वारा जांच की फीस (कंसलटेशन शुल्क) बेड जांच कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित दर के अनसुार देय ।
5. सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित पैकेज रेट में, बेड चार्ज, कंसलटेशन, प्रोसीजर, विशेष जांच आदि सम्मिलित होता है । हितग्राहियों को सामान्य वार्ड में भर्ती रह कर इलाज करवाने की पात्रता होगी।
6. हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ लेने के लिए लोक परिवहन/रेल द्वारा साधारण श्रेणी से यात्रा करने की तथा एक साथी को साथ ले जाने की पात्रता होगी।

निरन्तर.....

7. विदेशों में उपचार करवाने की अनुमति नहीं दी जायेगी न ही विदेशों में करवाए गए उपचार का पुनर्भुगतान किया जाएगा।
8. कास्मेटिक सर्जरी तथा आर्थोडेन्टिस्ट उपचार (सुधार प्रयोजन के अतिरिक्त) की सुविधा हितग्राहियों का प्राप्त नहीं होगी ।
9. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो "प्रतिरोधक टीके" लगाने के निर्देश दिए गए हैं । केवल वहीं प्रतिरोधक टीके हितग्राहियों को प्रदाय किए जाएंगे ।
10. जब कंडिका एक व दो में वर्णित चिकित्सालयों में उपचार करवाना संभव न हो तथा प्रकरण विशेष में उपचार की तात्कालिक आवश्यकता हो तो आपात स्थिति में अन्य चिकित्सालयों में कराये गए उपचार के प्रकरणों का, तात्कालिकता के औचित्य के आधार पर आकलन कर संचालनालय तथा विभाग द्वारा वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत निराकरण किया जा सकेगा तथापित बीमितों को इस प्रकार के देयकों को पुनर्भुगतान प्राप्त करने के लिए दावा प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
11. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो सामग्री तथा निरोध, गर्भ निरोध गोलियां आदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है केवल वही सामग्री हितग्राहियों को प्रदाय की जावेगी ।
12. हितग्राहियों द्वारा चिकित्सा व्यय पर पुनर्भुगतान का दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा उपचार दिनांक से एक वर्ष तक होगी ।
13. हितग्राहियों को उपचार पद्धति वहीं उपलब्ध करायी जावेगी जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध है।
14. शासकीय, अर्द्ध शासकीय तथा केन्द्र सरकार के उपक्रमों के चिकित्सालयों में कराये गये ऑपरेशन/शल्य किया का "ऑपरेशन चार्ज" का पुनर्भुगतान किया जावेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुबंधित/मान्य चिकित्सालयों में कराये गये ऑपरेशन/शल्य किया का पुनर्भुगतान पैकेज दर के अनुसार किया जायेगा। निजी चिकित्सालयों में कराये गये "ऑपरेशन चार्ज" (जो अनुबंधित नहीं है) का पुनर्भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. हितग्राहियों को विशेषज्ञों की सलाह पर हाई प्रोटीन पदार्थ टॉनिक्स देने की समय सीमा 6 से 8 सप्ताह होगी ।
16. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" द्वारा शासकीय कर्मचारियों तथा छ.ग. शासन, श्रम विभाग द्वारा बीमित व्यकित्यों के उपचार हेतु समय–समय पर जारी अधिकृत चिकित्सालयों में बीमितों एवं उनके परिवारों के आश्रित व्यक्तियों का उपचार मान्य होगा।
17. कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा विभाग द्वारा समय–समय पर बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर कुछ अनुबंधित/नामित चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी । प्रत्येक प्रकरण में बीमितों को कैशलेस सुविधा प्रदान करने की बाध्यता नहीं होगी, न ही बीमितों द्वारा प्रत्येक प्रकरण में कैशलेस सुविध प्रदान करने की मांग को मान्य किया जाएगा।

निरन्तर.....3

18. बीमितों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति/चिकित्सा अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय अधिकारों के अनुसार किया जायेगा।
19. ये दिशा–निर्देश कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परिवर्तनशील होंगे ।
20. किसी भी प्रकरण में विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय वित्तीय अधिकारों के अनुसार संचालनालय/राज्य शासन के पास सुरक्षित रहेगा।
21. उपरोक्त दिशा–निर्देशों को आवश्यकतानुसार शिथिल एवं परिवर्तन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिव्या उमेश मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 10–2/2005/16 (पार्ट) नया रायपुर, दिनांक:२६/05/2018

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर,
2. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, नया रायपुर,

..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

मेन्युअल क्रमांक 11

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें को आबंटित बजट (वर्ष 2018–19)

योजना क्रमांक	कुल बजट आबंटन
2714 (प्रशासन)	1,47,97,000
791	32,56,35,100
3676	50,21,36,000
योग :–	84,25,68,100

मेन्युअल क्र. 12

अनुग्रह /अनुदान कार्यक्रमों के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे कार्यक्रमों से सम्बंधित हितग्राहियों के विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अन्तर्गत किसी प्रकार के अनुग्रह/अनुदान कार्यक्रम का निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

मेन्युअल क्र.13

रियायत, अनुज्ञापन या अधिकृत होने की स्वीकृति प्राप्तकर्ताओं की जानकारी का मेन्युअल

कर्मचारी राज्य बीमा सेवाये द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना से सम्बद्ध हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। अतः विभाग के कार्यो के स्वरूप को देखते हुए विभाग में कोई रियायत, अनुज्ञापन या अधिकृत किये जाने का प्रावधान नहीं है।

मेन्युअल क्रमांक. 14

लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध अथवा उसकी अभिरक्षा में रखी गई जानकारियों को इलेक्ट्रानिक रूप में रूपान्तरित विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़

(वे जानकारियां जो अधिनियम के अनुच्छेद 8 व 9 की परिधी से बाहर है)

(अ) केन्द्र स्तर पर उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारीः–

1. हितग्राहियों को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधा के सम्बंध मेंः–
    1. मरीजों की केन्द्र के अधीन कार्यरत औषधालयों में उपस्थिति
    2. मरीजों को वितरित की गई औषधियों के सम्बंध में
    3. केन्द्र पर औषधियां प्राप्ति के स्त्रोत
    4. केन्द्र अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में क्रय की गई औषधियों की जानकारी केन्द्र को अन्य स्त्रोतो से प्राप्त औषधियो की जानकारी
    5. केन्द्र को ड्रग ड्रेसिंग के लिये आवंटित बजट एवं व्यय
    6. केन्द्र द्वारा ड्रग –ड्रेसिंग मद मे अपने अधिकार क्षेत्र में किये गये पुनर्भुगतान की जानकारी
    7. वरिष्ठ कार्यालयों को अग्रेषित किये गये पुनर्भुगतान व अग्रिम के प्रकरणों की जानकारी
    8. रिवाल्विंग फण्ड से पुनर्भुगतान व अग्रिम के प्रकरणों के लिये प्राप्त ड्राष्टस् / चैक की जानकारी
    9. विभिन्न विशषज्ञों / चिकित्सालयों मे उपचार के लिये सन्दर्भित किये गये मरीजों की जानकारी
    10. कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत देय नगद हितलाभों के लिये किये गये प्रमाणीकरण की जानकारी
    11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये केन्द्र स्तर पर गतिविधियों की जानकारी
    12. चिकित्सा सुविधाओं के सम्बंध में प्राप्त शिकायतें / सुझाओं की जानकारी
    13. औषधालयों के लिये किराये के भवनों की जानकारी
2. केन्द्र के अधीन कार्यरत औषधालयों के अमले के सम्बंध मेंः–
    1. अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति सम्बंधी जानकारी
    2. अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन, भत्तों की जानकारी
    3. अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश सम्बंधी जानकारी
    4. क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निराकृत सामान्य भविष्य निधी व यात्रा देयको की जानकारी
    5. सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में जानकारी
    6. शिकायतें/सुझावों की जानकारी

(ब) संचालनालय स्तर पर उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारीः–

1. हितग्राहियों को उपलबध करायी जा रहीं चिकित्सा सुविधाओं के सम्बंध मेंः–
    1. प्रदेश स्तर पर केन्द्र, स्तर पर उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारियां
    2. विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रदत्त वित्तीय अधिकार अन्तर्गत औषधियो के क्रय किये जाने के लिये जारी प्रदाय आदेश
    3. औषधियों के क्रय हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

4. प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत हितग्राहियों के चिकित्सा उपचार के लिये पुनर्भुगतान एवं अग्रिम के प्रकरणों की जानकारी
5. रिवाल्विंग फण्ड के अन्तर्गत क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को भुगतान हेतु प्रेषित पुनर्भुगतान व अग्रिम के प्रकरणों एवं तत्सम्बंध में प्राप्त ड्राप्टस्/चैक्स् की जानकारी
6. राज्य शासन से प्राप्त बजट एवं उसका आवंटन
7. प्रदेश स्तर पर बजट आवंटन एवं व्यय
8. औषधालयों के लिये किराये पर लिये गये भवनों की जानकारी
9. चिकित्सा सुविधाओं के सम्बधं में प्राप्त शिकायतें /सुझावों एवं उनके निराकरण की जानकारी

2. विभाग में पदस्थ अमले के सम्बंध में जानकारीः–
   1 विभाग में स्वीकृत कार्यरत व रिक्त विभिन्न पद
   2 भर्ती के लिये आरक्षण
   3 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये नियुक्तियां, वरिष्ठता तथा पदोन्नति सम्बंधी जानकारी , अपनाई गई प्रक्रिया एवं जारी आदेश
   4. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बंध में अनुशासनात्मक कार्यवाईयों की जानकारी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के विरूद्ध प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाईयां
   5. अमले के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति संम्बधी जानकारी
   6. क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अवकाश प्रकरणों के निबटान की जानकारी
   7. विभिन्न न्यायालीयन प्रकरणों की जानकारी
   8. अमले के सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अस्थाई अग्रिम, आंशिक विकर्षण की जानकारी सेवा निवृत्ति उपरान्त के स्वत्वों के भुगतान की जानकारी
   9. अमले को देय लम्बित भुगतानों की जानकारी
   10. क्षेत्राधिकार अन्तर्गत लम्बित एवं निबटान किये गये यात्रा देयकों की जानकारी

मेन्युअल क्र. 15

सूचना प्राप्त करने की सुविधाओं का विवरण

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संगठन अन्तर्गत जन साधारण हेतु वाचनालय या पठन कक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वांछित सूचना, अभिलेखों के अवलोकन या उनकी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

1. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संगठन के लिये सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक सादे कागज पर एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें चाही गई सूचना का विवरण अंकित होगा, साथ ही उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को अभिलेखों (सूचना) के अवलोकन या उनकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये शुल्क के लिये रसीद (छ.ग. कोष संहिता के प्रारूप–6) सूचना चाहने वाले व्यक्ति को दी जायेगी एवं उसे कब उन अभिलेखों का अवलोकन करने दिया जायेगा, या सत्यप्रितिलिपी दी जायेगी –की तारीख व समय भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी जाने वाली रसीद के पृष्ठ भाग पर अंकित किया जायेगा। यह अवधि अधिकतम 30 दिवस होगी तथा दिवसों की गणना आवेदन प्राप्ति के अगले दिवस से की जावेगी।
3. लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना यदि व्यक्ति को किन्ही कारणों से (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 8 व 9 के अन्तर्गत) उसे नही दी जा सकती है तो व्यक्ति द्वारा जमा किया गया शुल्क लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे वापिस किया जावेगा एवं तत्सम्बंध में अवगत कराया जावेगा।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो से कोई भी शुल्क उनके द्वारा वांछित सूचना के लिये नहीं लिया जावेगा, इसके लिये सूचना चाहने वाले व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी के समक्ष समुचित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक को सूचित की गई तिथि पर अभिलेख का अवलोकन लोक सूचना अधिकारी के समक्ष कराया जायेगा। अभिलेख के अवलोकन के समय आवेदक को स्याही या डाट पेन रखने की अनुमती नहीं दी जावेगी। अभिलेख की प्रति चाहे जाने पर उसकी छायाप्रति अथवा टंकण प्रति आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।
6. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान अन्तर्गत चाही गई सूचना औषधालय स्तर की जानकारी से सम्बंधित होने पर सहायक जनसूचना अधिकारी प्रभारी औषधालयों के द्वारा प्रदाय की जायेगी तथा सम्बंधित लोक सूचना यदि अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, तो वह चाही गई सूचना के लिये आवेदन को उस लोक सूचना अधिकारी की ओर स्थानान्तरित करेगा, जिसकी अभिरक्षा में वांछित दस्तावेज उपलब्ध है।
7. शुल्क :– चाहे गये अभिलेखों के अवलोकन हेतु प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिए रू. 10/आवेदनकर्ता से लिया जावेगा। इसी तरह अभिलेखों की सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रति पृष्ठ शुल्क निम्नानुसार होगाः–

क्र	पेपर का आकार	प्रति पृष्ठ निर्धारित शुल्क
1	ए–4 आकार पेपर	रू. 2/–
2	ए–3 आकार पेपर	रू. 4/–

जमा कराया गया शुल्क अग्रिम या अनुमानित होगा तथा अभिलेखों के अवलोकन या उनकी सत्यप्रतिलिपी प्रदाय करते समय निर्धारित मूल्य अनुसार समायोजन किया जावेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त राशि को यथासमय राजकोष में जमा कराया जावेगा।

8. अभिलेखों के अवलोकन एवं उनकी सत्यप्रति प्रदाय के लिये पृथक–पृथक पंजियां निर्धारित की जावेगी।
9. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें से संबंधित विभिन्न जानकारियॉ श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट www.cglabour.gov.in पर देखी जा सकती है ।

मेन्युअल क्रमांक. 16

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संगठन में जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण

1	2	3	4
क्र	कार्यालय / संस्थान	धारा 5(1) के अंतर्गत राज्य जन सूचना अधिकारी	धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी
1	संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें छत्तीसगढ़	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना)	संचालक
2	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के समस्त औषधालय	संबंधित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी / आहरण एवं संवितरण अधिकारी समस्त केन्द्र (सहायक जन सूचना अधिकारी)	संचालक

मेन्युअल क्रमांक. 17

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संगठन की ऐसी अन्य सूचनायें जो विहित की जा सके

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें छ.ग. में ऐसी अन्य कोई सूचना नही है जिसे आमजन द्वारा चाहे जाने के लिये मेन्युअल रूप में विहित किया जा सके।